

14/10
2019

:: निजीय ::

सनातनवादी आज प्रसंगित हैं।
वकील वादी एवं प्रतिवादी
संस्थापनी पैरोकार उपस्थित।

वकील वादी को इस-व्यवस्था
द्वारा दिनांक 26.3.2019 को आदेश
दिया गया कि प्रतिवादी संस्था
6 व 15 के फॉर्म हो जाने से
व्यवस्था सुधार की कार्यवाही
को अगल प्रयाप्त समय
दिये जाने एवं करिये 2001-
की लो 2-2 पर एक अतिरिक्त
अवकाश दिया गया अगल
वकील वादी द्वारा न्यायालय
आदेश की पालना नहीं की गयी
है।

अतः वादी की अपरि-
त प्रसंगित वाद अंतर्गत
कासि 53, 188 कायदेवा क
व्याप्तकारी अतिरिक्त 1955
अदम लवदील में म्वा रिज
दिया जाता है।

[Signature]


सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
विलाडा




महावली कैमल कुमार
को इस काम से हटा दिया जाये
जाये।

विंकीश और इजलास

कुमार, आर।


(रविन्द्र कुमार)



सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा